फर्द अहकाम

रामकरण वगै0 बनाम प्रकाश चन्द वगै0

पत्र संख्या 189 / 2024

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2024	प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। सरकार पैरोकार उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रारम्भिक आपत्तिया पेश कर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में बहस उपस्थित अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता लिखित बहस पेश की एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यो को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में हुये गलत अंकन की दुरूस्ती की जावें एवं भूमि साबिक खसरा नम्बर 91/2 रकबा 4 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 160 रकबा 0.07 हैक्टेयर की खातेदारी पूर्व की भांति प्रार्थीगण के खाते में दर्ज / इन्द्राज किया जावें तथा अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्ध फरमाया जावें कि प्रार्थीगण के कब्जे एवं काश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 91/2 रकबा 4 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 160 रकबा 0.07 हैक्टेयर के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करें न ही ऐसा स्वंय करें न ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट से करवावें। खर्चा अप्रार्थीगण से दिलवाया जावें। अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थीगण हो वह भी प्रदान किया जावें। बहस उपस्थित अधिवक्तागण एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकार्ड की नियमानुसार जॉच कर ग्राम हेमा की नांगल उर्फ नानकपुरा तह0 सांगानेर में स्थित साबिक खसरा नम्बर 91/2 रकबा 4 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 160 रकबा 0.07 हैक्टेयर अप्रार्थी के नाम गलत अंकन किया गया है तो उसे दुरूस्त कर पुनः भूमि साबिक खसरा नम्बर 91/2 रकबा 4 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 160 रकबा 0.07 हैक्टेयर की खातेदारी पूर्व की भांति प्रार्थीगण के खाते में दर्ज / इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:12:09 IST
Reason: SelfAttested